भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4049

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

4049. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्यों के बीच सार्वजनिक ऋण/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के आवंटन का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेलंगाना से 2,547.07 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के आदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्णय का आधार क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 54(1) के प्रावधानों के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरवर्ती राज्यों के बीच सार्वजनिक ऋण/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) का आवंटन अनंतिम रूप से किया गया है। वर्ष 2024-25 में, यह सूचित किया गया था कि आंध्र प्रदेश राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के ईएपी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए 2,547.07 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया है। तदनुसार, इस राशि का समायोजन कर दिया गया था। फिलहाल, इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****